फर्द अहकाम

(नियम 26)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
23.12.2020	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार लूणी की ओर से रिपोर्ट पेश हुई। बहस सुनी गई। प्रार्थी ने धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया कि खसरा नं 20 रकबा 62 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 11 बीघा 09 बिस्वा भूमि प्रार्थी के पिता आसकरण को आवटित की गई जिसका नामान्तरणकरण 102 दर्ज किया गया तथा राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया गया संवत 2053 तक आसकरण जी का नाम दर्ज रहा परन्तु संवत 2054 की जमाबंदी में बिना किसी कारण आसकरण जी का नाम छूट गया जिसको दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार लूणी को प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु नाम दर्ज नही किया। बाद में प्रार्थी ने श्रीमान के समक्ष भी प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे श्रीमान द्वारा तहसीलदार लूणी को प्रेषित किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का नाम दर्ज किया जावे। तहसीलदार लूणी द्वारा हल्का पटवारी के मार्फत जाच रिपोर्ट पेश की गई। जिसमे सम्वत 2054 से 2057 की जमाबदी बनाते समय लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थी के पिता आसकरण पुत्र करणीदान की नाम छूट जाने का लिखा है। उक्त प्रकरण मे नामान्तकरण संख्या 102 मूल या सत्यापित प्रति प्रस्तुत नही की तथा न ही नामान्तकरण मे उल्लेखित आवंटन/आदेश नियमन (मिसल न. 1845/77) की सत्यापित प्रति आदि प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हों। 23/12/20 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	

Scanned by CamScanner